भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004
Phone No. 0612-2675929, 2675672, Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

भारत की जनगणना
CENSUS OF INDIA
2011

पत्रांक–डी0 26015/4/2003–1604 दिनांक – 23/6/2014

स्कूल किट की दुलाई हेतु निविदा आमंत्रण

बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना–800004 द्वारा स्कूल किट की ढुलाई हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य संबंधी ब्योराः–

राज्य के सभी जिला मुख्यालय में (पटना छोड़कर) लगभग 8 पैकट स्कूल किट भेजा जाना है। प्रत्येक पैकेट लगभग 10 Kg. का है। पैकेट बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना–800004 में संधारित है।

स्कूल किट से संबंधित ढुलाई हेतु नियम एवं शर्तें

1. कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में निदेशालय के टेंडर बॉक्स में डाला जा सकता है अथवा डाक द्वारा कार्यालय के पते पर भेजा जा सकता है। कोटेशन जमा करने की अन्तिम तिथि 30.6.2013 को सायं 3.00 बजे तक है। उसके बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त कोटेशन उसी दिन सांय 4.00 बजे खोले जायेंगे। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि कार्यालय में उपस्थित रहे सकते हैं।
2. कोटेशन दाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर **स्कूल किट** से संबंधित सामग्री को राज्य के सभी जिलों में पहुंचायी जानी है।
3. चूंकि जनगणना संबंधी **स्कूल किट** अत्याधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए कोटेशन दाता को ढुलाई के दौरान वाहन में लदे सामानों को वर्षा आदि से सुरक्षित रखने हेतु तिरपाल आदि से ढंककर सुरक्षित रूप से पहुंचाना होगा।

4. ढुलाई के दौरान **स्कूल किट** को वर्षा एवं अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त होने अथवा विलम्ब से पहुंचाने की दशा में कोटेशन दाता के विरूद्ध जनगणना अधिनियम–1948 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

5. कोटेशन पूरे राज्य के लिए प्रति पैकेट के दर से देनी होगी तथा इसमें लोडिंग एवं अनलोडिंग खर्च भी सम्मिलित होनी चाहिए तथा जिला मुख्यालय में सामग्री उपलब्ध कराने के पश्चात उसका प्रमाण–पत्र लाना अनिवार्य है। उसी के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

6. कार्य आदेश के एक सप्ताह के अंदर **स्कूल किट** सभी जिलों में प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार कुछ जिलों में पैकेट प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना होगा।

7. ढुलाई की जाने वाली सामग्री का किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 3.30 बजे तक निविदादाता द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

8. प्राप्त कोटेशनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।

9. नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती की जायेगी।

10 फर्म के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

11. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

12. फर्म को टिन नं. /पैन कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।

13. निविदादाता की जनगणना कार्य निदेशालय/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धसरका संस्था आदि द्वारा काली सूची में न होने का स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

14. निविदादाता का गत वर्ष का टर्न ओवर एक करोड़ का होना चाहिए।

15. केन्द्र सरकार या बिहार सरकार के अधीनस्थ कार्य का तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिए।

16. सर्विस टैक्स नम्बर की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।

20/6/14

(धीरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक(का0अ0)

1. ORGI Web. Site
2. नोटिस बोर्ड
3. निविदा समिति के सभी सदस्य